वेब साईट पर प्रकाशन हेतु

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता कंवरसैन लिफ्ट खण्ड, इं.गा.न.प. लूणकरनसर (बीकानेर)

निलामी सूचना संख्या 02 वर्ष 2021-22

निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित अनुपयोगी/अधिशेष सामानों की नीलामी **जैसा है, जहां है** के आधार पर खुली बोली से अनुपयोगी/अधिशेष सामानों की नीलामी हेतु धरोहर राशि जमा करवाकर दिनांक 30/7/2021 से 18/08/2021 दोपहर 01:00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस में टोकन प्राप्त किये जा सकते हैं। नीलामी की बोली सभी अधिकृत अधिकारियों की समिति के समक्ष दिनांक 18/08/2021 को दोपहर 02:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक, **विश्राम गृह परिसर इं.गा.न.प. कॉलोनी लूणकरनसर** में लगाई जायेगी।

NIB CODE:- IGB2122 A0020 **UBN No:- IGB2122GSOB00048**

लोट संख्या	अनुपयोगी सामान का विवरण	आरक्षित राशि	धरोहर राशि
01	कंवरसैन लिफ्ट नहर के पम्पिंग स्टेशन चतुर्थ हुसंगसर पर विभिन्न प्रकार के सामान की नीलामी जैसे :– बियरिंग, साफ्ट कपलिंग, बलास्ट, MS बोल्ट, केपेसिटर इत्यादि विविध सामग्री सूची अनुसार	57966	1500
	कंवरसैन लिफ्ट नहर के पम्पिंग स्टेशन तृतीय खारा पर विभिन्न प्रकार के अनुपयोगी सामान की नीलामी जैसे बियरिंग, साफ्ट कपलिंग, बलास्ट, MS बोल्ट, केपेसिटर इत्यादि विविध सामग्री सूची अनुसार	16745	
	कुल लोट योग	**74711**	**1500**

शर्तेः–

1. राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड–19 की गाईड लाईन का पालन करते हुए निलामी कार्यवाही सम्पन्न की जावेगी। कोविड–19 की गाईड लाईन का पालन करते हुए योग्य वोलीदाता निलामी में भाग ले सकता है। यदि कोई बोलीदाता राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन का पालन नही करता है तो उसे निलामी बोली से वंचित कर दिया जायेगा।
2. निलामी में भाग लेने वाले बोलीदाता दिनांक 30/7/2021 से 18/08/2021 दोपहर 01:00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस में निर्धारित धरोहर राशि जमा करवा कर टोकन प्राप्त कर भाग ले सकते है।
3. जी0एस0टी/इन्कम टेक्स भुगतान के चालान की प्रति माल उठाने से पूर्व इस कार्यालय में जमा करवानी होगी।
4. नीलामी कमेटी की मौजुदगी में होगी और कमेटी यदि संतुष्ट नही होती है तो निलामी रद्ध करने का पूर्ण अधिकार निलामी कमेटी को होगा।
5. सामान उठाने के लिये साईट पर किसी भी प्रकार की कटिंग/बैल्डिंग कार्य इत्यादि स्वीकार्य नही होगा। सामान जैसा है, जिस स्थिति में उठाना होगा। निलामी धारक स्वंय के खर्चे पर सामान का अवलोकन करेगा। नीलामी के पश्चात इस सम्बन्ध में कोई शिकायत मान्य नही होगी।
6. उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर उक्त सामान की बोली की 25 प्रतिशत राशि उसी समय जमा करवानी होगी। शेष राशि नीलामी की स्वीकृती की तिथी से 15 दिवस में जमा करवानी होगी ।
7. यदि उच्चतम बोलीदाता द्वारा किन्ही भी अपरिहार्य कारणों से शेष रही बकाया 75 प्रतिशत राशि बोली तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा नही करवाने की स्थिति में बोलीदाता द्वारा जमा करवाई गई धरोहर राशि एव बोली की 25 प्रतिशत राशि को जब्त कर लिया जायेगा।
8. सुपुर्दगी आदेश की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर परिसर से सामान नही उठाने की स्थिति में प्रति अतिरिक्त दिवस के लिये कुल बोली की राशि का 18 प्रतिशत वार्षिक दर से भण्डार शुल्क जमा करवाना होगा।
9. जमा करवाई जाने वाली सभी प्रकार की राशि के मुद्रा का पूर्ण विवरण बनाकर देना होगा तथा उसकी सत्यता सम्बन्धी सभी जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।
10. नीलामी निश्चित दिवस में पूर्ण न होने पर या राजकीय अवकाश होने पर उसके अगले कार्य दिवस को होगी।
11. अनुपयोगी सामान उपरोक्त वर्णित कार्यस्थल पर किसी भी कार्य दिवस के दौरान देखा जा सकता है।
12. नीलामी की अन्य शर्ते निलामी से पूर्व दी जावेगी ।
13. बोली के समय सभी प्रकार के विधि सम्मत आचरण एवं व्यवस्था संहिता का पालन करना होगा।
14. अन्य विस्तृत विवरण किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

29/7/2021

अधिशाषी अभियन्ता
कंवरसेन लिफ्ट खण्ड इ.गा.न.प.
लूणकरनसर